खाड़कुओं से प्राप्त गुप्त सन्देश

3195. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाड़ा से खाड़कुओं के नाम कुछ गुप्त संदेश मिल रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने सन्देश मिल चुके हैं; और

(ग) अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु इन संदिग्ध संदेशों को पकड़ने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Waste Papers of Delhi Administration

3116. SHRI KRISHAK LAL SHAR-A4A. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that waste papers of Delhi Administration were recently found wrapped in National Flag before being sent to be burnt;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) whether Government have instituted any inquiry into this matter
and if so, the findings of the inquiry and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF SOME AFFAIRS (SHRI M. M. PACOB): (a) to (c) Yes, Sir. Some waste papers of the office of the Deputy Commissioner were found wrapped in certain old National Flags On 20-1-1992. A preliminary inquiry into the mattar was conducted by Additional District Magistrate (HQ), Delhi. On the basis of the inquiry report, the Store-keeper and two LDC_S of Deputy Commissioner's office were placed under suspension. The Caretaker of that office has been transferred and disciplinary proceedings initiated against him

अल्पसंख्यकों संबंधी नीति

3117. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अल्पसंख्यकों के मामले में दमन की नीति अपना रही है जब कि वह साम्प्रदायिक और अल्पसंख्यक विरोधी तत्वों से निपटने में नरम और उदार नीति पसंद कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) लोक व्यवस्था बनाए रखना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–ii में शामिल है, अतः इसको बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समय समय पर, साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें साम्प्रदायिक गड़बड़ी की रोकथाम करने तथा साम्प्रदायिक शांति तथा सद्भावना बनाए रखने से संबंधित विभिन्न मामले शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में भी उचित प्रावधान निहित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।